प्रेस नोट

दिनांक 29.01.2026

थाना मौदहा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/ वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.01.2026 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2026 धारा - 119(1)/115(2)/352 बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तगण 1.मोहम्मद सलमान पुत्र इफ्तिकार अहमद 2.फरदीन उद्दीन उर्फ मुन्ना पुत्र जलाल उद्दीन 3.अरबाज पुत्र खालिद जमाल को जीजीआईसी स्कूल के मोड़ के पास बहद कस्बा व थाना मौदहा हमीरपुर से मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त 02 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज व एक अदद मोटर साइकिल अपाचे के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया। प्रकरण में अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.01.2026 को राहुल सिंह पुत्र कल्लू सिंह, निवासी ग्राम सिजवाही, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर, अपने सगे भाई शिवम सिंह के साथ कस्बा मौदहा में अपनी बहन के तिलक हेतु सामग्री खरीदने आए हुए थे, समय करीब 16:30 बजे, जब वे अरविन्द सुनार (खण्डेह वाले) की दुकान के पास मौजूद थे, तभी अरबाज पुत्र खालिद जमाल, निवासी मोहल्ला चौधराना, थाना मौदहा, मोहम्मद सलमान पुत्र इफ्तिकार अहमद, निवासी पूर्वी तरौस, थाना मौदहा एवं फरदीनुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन, निवासी मोहल्ला बाघू, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर, एक अपाचे मोटरसाइकिल से मौके पर आए और तीनों द्वारा राहुल सिंह एवं उसके भाई से शराब पीने हेतु रुपये की मांग की गई, रुपये देने से इंकार करने पर तीनों व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए तमंचे के बट से राहुल सिंह एवं शिवम सिंह के साथ मारपीट की गई। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 35/2026, धारा 119(1)/115(2)/352 बी0एन0एस0 के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तो के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.मोहम्मद सलमान पुत्र इफ्तिकार अहमद निवासी मोहल्ला पूर्वी तरौस कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 25 वर्ष)

2.फरदीन उद्दीन उर्फ मुन्ना पुत्र जलाल उद्दीन निवासी मोहल्ला बागू कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 29 वर्ष)

3.अरबाज पुत्र खालिद जमाल निवासी मोहल्ला चौधराना थाना मौदहा जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 24 वर्ष)

बरामदगी का विवरण

1. अभियुक्त मोहम्मद सलमान से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
2. अभियुक्त फरदीन उद्दीन उर्फ मुन्ना से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
3. अभियुक्त अरबाज से 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
4. अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल बरामद हुई, जिसके कोई वैध कागजात न होने पर जिसे अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 दिशान्त खोखर
2. उ0नि0 अभिषेक त्रिवेदी
3. उ0नि0 हरिश्चन्द्र यादव
4. कां0 विजय प्रताप